78

संख्या–20/1/95/का–2/2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

विषय :– उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

बहुधा यह देखा जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सेवाकाल के दौरान उन्हें दी गयी वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टियों/भर्त्सना प्रविष्टियों तथा उत्तर प्रदेश (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 एवं 8 में पारिभाषित लघु एवं वृहद् दण्ड इत्यादि के विरूद्ध निर्देश याचिकायें योजित कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है और प्रोन्नति तथा अन्य सेवा लाभों के अनुमन्य कराये जाने के विषय में प्राप्त स्थगनादेश के आधार पर उन्हें सेवा लाभ अनुमन्य करा दिया जाता है।

2–उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 के संशोधन आदेश यू0पी0 एक्ट नम्बर–5/2000 द्वारा राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध पारित किये जाने वाले अन्तरिम आदेश/स्थगन आदेश को उसके अधिकार–क्षेत्र से बाहर करते हुए धारा–5सी में निम्नवत् व्यवस्था प्राविधानित की गयी है:–

"Notwithstanding anything in the forgoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against a public servants, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry, which was made by a tribunal before the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2000 and which is in force on the date of such commencement shall stand vacated."

3–इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा–5बी में निलम्बन, बर्खास्तगी, निष्कासन आदि विभागीय कार्यवाही में दिये गये दण्डों के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित की गयी है:–

"Notwithstanding anything in the forgoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to take an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made or purporting to be made by an employer for the suspention, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory, retirement or reversion of a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matter, which was made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section and which if in force on that day shall stand vacated."

4–उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 में समय–समय पर किये गये उपर्युक्त संशोधनों के विरूद्ध पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में की गयी रिट याचिका पर पाँच न्यायमूर्तियों की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 05.05.2000 को निम्न निर्णय दिया गया:–

"We are of the considered opinion that basically there are two ground for striking an Act, *i.e.* lack of legislative competence, and (ii) violation of fundamental rights or any other constitutional provision. In the present enactment we find that the State Legislature is competent to enact the impugned provisions. Further there is neither violation of any fundamental right nor violation of any constitutional provisions. The provision of the impugned Act neither violate any fundamental right nor are against the basic structure of the Constitutional of India."

5–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न सिविल अपील योजित की गयी, जिन्हें डिसमिस करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2003 को निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिये गये:–

"For the reasons stated above, we find that the State Legislature was competent to enact the impugned provisions. Further that the provisions enacted are not arbitrary and therefore not violative of Articles 14, 16 or any other provisions of the Constitution. They are not against the basic structure of the Constitution of India either,. Accordingly, we do not find any merit in these appeals and the same are dismissed with no order as to costs."

6–इस प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 में समय-समय पर किये गये संशोधनों को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सही व उचित बताया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 में समय-समय पर किये गये संशोधनों के विरूद्ध दायर रिट याचिका को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसमिस कर दिया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये उपर्युक्त निर्णय/आदेश के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 5बी एवं 5सी में किये गये संशोधनों की प्रभावशीलता स्वतः सिद्ध है, फिर भी यह देखा जा रहा है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में पारित अन्तरिम आदेशों/स्थगनादेशों का आधार लेकर कर्मचारी/अधिकारी प्रोन्नति के प्रकरणों में सेवा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 में किये गये उपर्युक्त संशोधन के दृष्टिगत पारित अन्तरिम स्थगनादेश निष्प्रभावी हो जाते हैं।

7–उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव।

संख्या–20/1/95(1)/का-2/2012-तेदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
2–निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3–निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5–प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9–सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उ0प्र0।
12–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एच0एल0 गुप्ता,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 21 सा० नियुक्ति–2012–(2862)–2000+2=2002 (कम्प्यूटर/आफसेट)।